न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/02/2020	04–03–2020	26–07–2023

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र रामजीलाल,
2. राजेश पुत्र रामजीलाल,
3. गीता पत्नी रामजीलाल कौम स्वामी निवासीयान अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)
4. मोहनलाल पुत्र गंगासहाय,
5. महादेव पुत्र गंगासहाय कौम मीणा निवासीयान अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953

उपस्थितः–

1. श्री दीपक मीना – राजकीय अभिभाषक
2. श्री भूपेन्द्र खटाणा – वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार थानागाजी ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 110, खसरा नंबर 288 रकबा 1.92 है0, खसरा नंबर 1661 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 1664 रकबा 0.40 है. कुल किता 3 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 288 रकबा 1.92 है0, खसरा नंबर 267 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा जिसका साबिक आराजी खसरा नंबर 109 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1661 रकबा 0.49 है0 का खसरा नंबर 1567 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से इसका साबिक खसरा नंबर 936 मिन रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1664 रकबा 0.40 है0 का साबिक खसरा नंबर 1570 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा से इसका साबिक आराजी खसरा न0 110 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा से बना है, मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 से सिद्व हैं। उपरोक्त आराजी मूर्ति मंदिर सीताराजी महाराज विराजमान अंगारी की भोग खर्च की आराजी है, मूर्ति मंदिर नाबालिक है, उपरोक्त आराजी ग्राम अंगारी के बिस्वेदार जागीदार जिन्होंने मूर्ति मंदिर सीताराज जी महाराज को भोग खर्च हेतु ईनाम दी थी। जिस इनाम का इन्द्राज साबिक जमाबंदी संवत 2002 में मंदिर श्री सीताराम जी महाराज व अहतवामना नानगदास, भौरादास, कालादास कौम स्वामी संजोगी सा0 देह माफी देह माफीदार जमीदारा दर्ज है, तथा इसके बाद बने राजस्व रिकॉर्ड संवत 2010 व 2014 में उक्तानुसार मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के नाम दर्ज है। आराजी में कार्य काश्त कर नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज का भोग खर्च काम में लिया जाता रहा है। आराजी से अप्रार्थीगण का या अन्य किसी का कोई हक संबंध कब्जा किसी प्रकार का नहीं है। आराजी मूर्ति मंदिर श्री

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सीताराजम जी महाराज की साबिक रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिसमें कार्य काश्तकार नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री सीताराजम जी महाराज का भोग खर्च के काम आती रही है। अप्रार्थीगण चतुर चालाक एवं बेईमान किस्म का व्यक्ति हैं, जो मंदिर मूर्ति की आराजी को जबरन लठ के बल कब्जा कर मूर्ति मंदिर श्री सीताराजम जी महाराज को बेदखल करना चाहता है। इसलिए अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कराकर उक्तानुसार रिकॉर्ड में मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी महाराज के नाम दुरूस्त कराने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उपरोक्त बाबत् ग्रामवासियों द्वारा कई बार सूचना एवं प्रार्थना पत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी से अवगत हुआ एवं ग्रामवासियों द्वारा रेफरेंस पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी की ओर से निवेदन है, कि संवत 2002, 2010 एवं 2014 से पूर्व का आराजी के बाबत् इन्द्राज मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी महाराज के नाम चली आ रही है। इसके बाद दिनांक 25.06.2018 इंतकाल नंबर 525 जमाबंदी में ताहाल इन्द्राज हो रहा है। उसको निरस्त किया जावे, और मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी महाराज का इन्द्राज जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम में बदस्तूर कायम रखा जावे।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज विराजमान अंगारी की भोग खर्च की आराजी नही है, बल्कि आराजी हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के बुर्जगान के हकूक कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है, आराजी मुतनाजा जागीरदार उन्मूलन अधिनियम रायल होने से पूर्व व उसके बाद व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 रायल होने से पूर्व व उसके बाद हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के बुर्जुगान की आराजी थी। उक्त आराजी पर हमारे बुर्जगान का कब्जा आराजी मुतनाजा जागीरदार उन्मूलन अधिनियम रायल होने से पूर्व व उसके बाद व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 रायल होने से पूर्व व उसके बाद कब्जा था, इसलिये आराजी मुतनाजा हमारे बुर्जगान की हकूक कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(190)राज–6/200/44 जयपुर दिनाक 24.12.2007 व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक राम/प–63/न्याय/स्था/5/636–689 दिनाक 06.01.2010 के अनुसार भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को मौजुदा रेफरेन्स में वर्णित उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त थे, एंव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा निर्णित रेफरेन्स स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अन्य बनाम गीगाराम एण्ड अन्य रेफरेन्स/एल.आर./सीकर न0 3798 ऑफ 2009 दिनाक 10.06.2010 का निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त कि माफी की भूमि अधिग्रहित होने पर जागीर पुर्नग्रहण की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानो के अनुसार काबिज काश्तकार खातेदार बन गये के प्रकाश में निर्णय पारित किया गया है, एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर ने रेफरेन्स प्रकरण न्यायसंगत नही मानते हुये खारिज किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एंव माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर व माननीय उच्च न्यायालय व सवोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित नजीरो से भी आराजी मुतनाजा के हमारे बुर्जगान की ही कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है, व कागजमाल से भी सिद्व है। आराजी मुतनाजा पर हम अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के बुर्जुगान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये पंजीकृत बयनामा हम अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को बेचान की है, तक से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 सदभावी क्रेता व उक्त आरजी पर काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में एक राजस्व वाद संख्या 34/81/18 बअनुबान्ध मूर्ति मन्दिर सीतारामजी महाराज बनाम दिनेश वगै0 लम्बित है, जिस में तहसीलदार थानागाजी द्वारा पेश जवाब में यह स्वीकार किया गया है, कि हम अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

का ही राजस्व रिकार्ड में उक्त आरजी के बाबत नाम है, तथा हमारा कब्जा है, मौजुदा रेफरेन्स प्रकरण में हमारा कब्जा प्रार्थी नही बताता है, इसलिये भी प्रार्थी का कथन स्वतः ही गलत हो जाता है, इसलिये मौजुदा रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में निवेदन किया की वर्तमान में जमाबंदी ग्राम अंगारी खाता संख्या 110 में खसरा न0 288/1.92, 1661/0.49, 1664/1.40 गीता देवी पत्नि रामजीलाल दिनेश राजेश पिता रामजीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है, नामान्तकरण संख्या 525 दिनाक 25.06.2018 से आराजी खसरा न0 1661 व 1664 मोहनलाल, महादेव पिता गंगासहाय मीणा को बेंचान कर दिया गया है। राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार थानागाजी एव अप्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी के नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार दिनांक 08.08.2005 के विरूद्व 28.07.2011 पेश किया गया है। जो करीब 1 वर्ष तीन माह के पश्चात पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिय 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मन्दिर के नाम विभिन्न रूपो में अभिलिखित भूमियो में काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नही होने बाबत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न परिपत्र दिनाक 13.12.2001, 06.03.2007, 24.05.2007 जारी किये गये है, मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारो के संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 में **जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार –** जागीर भूमि के प्रव्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में राजस्व अभिलेखो में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य किसी रूप मे जिसमें यह अन्तरहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज किया गया है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐंसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। तथा जागीर के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज है, उनमें उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एंव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नही है, राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनाक 06.01.2010 के द्वारा राजस्व न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो का निस्तारण तदानुसार कराये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रकरण नामान्तकरण संख्या 525 निर्णय दिनाक 25.06.2018 आराजी खसरा न0 288 रकबा 1.92 है0, 1661 रकबा 0.49 है0, 1664 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 2.81 है0 वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी कागजात माल में अमल किया गया है, को निरस्त किये जाने हेतु अप्रार्थीयान के विरूद्व पेश किया गया है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)